

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,**  
**विद्यतु मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005**  
ईमेल—dir-pen-rj@nic.in दूरभाष नं० 0141-2740538, 2740678  
वेबसाईट— pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक :-प.5(328)निपेवि/ई-मॉड्यूल/2023

दिनांक

कोषाधिकारी,  
समस्त कोष कार्यालय,  
राजस्थान।

विषय:- IFPMS 3.0 के अन्तर्गत कोषालय के माध्यम से प्राप्त होने वाले LTA (Rule 143, 145)) प्रकरणों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि LTA प्रकरण (Rule 143, 145)) के अन्तर्गत कोषालय के स्तर पर 3.00 लाख तक, इससे अधिक राशि के प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर, 7.50 लाख एवं उससे अधिक राशि के प्रकरण निदेशालय स्तर पर निस्तारित किये जाते हैं। जो कि वर्तमान में IFPMS 2.0 द्वारा निस्तारित होते हैं। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण IFMS 3.0 पर किये जाने की सुविधा (Module) विकसित कर ली गई है।

अतः ऐसे प्रकरण दिनांक 01.06.2026 से IFMS 3.0 पर ही निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह भूकर)  
निदेशक

क्रमांक :-प.5(328)निपेवि/ई-मॉड्यूल/2023

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. परियोजना निदेशक, (IFMS 3.0), कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर Upload करने एवं समस्त कोषालयों को ई-मेल करवाने हेतु।
3. उप निदेशक (एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर), कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को मॉड्यूल आपरेशनल करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Mahendra  
Singh Bhukar  
Designation : Director  
Date :21-05-2026 06:16:02

RajKaj Ref No.:  
22375794